

निवादा

# अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

आदेश फलक

धारा-144 द0प्र0सं0

वाद संख्या 45/2020

दाखिल डाला

बनाम्

चौरी मकरी

04-06-2020

चूँकि आवेदक के आवेदन/थाना द्वारा प्राप्त अप्राथमिकी संख्या 07/2020 दिनांक 01-06-2020

के अवलोकन से मैं संतुष्ट हूँ कि

पुल्लम पत्र 0 दाखिल डाला दिनांक पत्र 0 चौरी

मकरी 0 सतिरथ मकरी

नीचे वर्णित अनुसूची विवादग्रस्त भूमि आदि के दखल को लेकर शांति भंग होने की प्रबल सम्भावना है और इसकी रोकथाम तत्काल आवश्यक है। आवेदक के आवेदन से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कार्रवाई आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए मैं धारा-144 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि में जाने से और वहाँ किसी प्रकार का विघ्न डालने से सख्त निषेध करता हूँ। निर्देश दिया जाता है कारण-पृच्छा न्यायालय में दिनांक 15-06-20 तक दाखिल करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	चौहद्दी
<u>डासापुर</u>	<u>101</u>	<u>30</u>	<u>1113</u>	<u>2 एकड़ 33 बी</u>	पूर्व0 — पश्चिमी — उत्तर — दक्षिण —

04/06/20  
4.6.20

अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
पोड़ाहाट चक्रधरपुर  
04-06-20

15-06-20 अतिरिक्त उपलब्धित / अलग पत्र के द्वारा अनुपलब्धित / अतिरिक्त  
दिनांक 03-07-2020 को उपलब्धित करें।

03-07-20 अतिरिक्त उपलब्धित / अलग पत्र के द्वारा अनुपलब्धित / अतिरिक्त  
दिनांक 11-07-2020 को उपलब्धित करें।

11-07-2020 अतिरिक्त उपलब्धित / अलग पत्र के द्वारा अनुपलब्धित / अतिरिक्त दिनांक  
18-07-2020 को उपलब्धित करें।

18-07-2020 अतिरिक्त उपलब्धित / अलग पत्र के द्वारा अनुपलब्धित / अतिरिक्त -  
दिनांक 28-07-2020 को उपलब्धित करें।

28-07-2020 अतिरिक्त उपलब्धित / अलग पत्र के द्वारा अनुपलब्धित / अतिरिक्त -  
दिनांक 04-08-2020 को उपलब्धित करें।

04-08-2020 अतिरिक्त उपलब्धित / अलग पत्र के द्वारा अनुपलब्धित / बाद की कार्य-  
वधि पूर्ण हो गया है, बाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

8/08/20